

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 984/2026

Manoj Agarwal S/o Late Shri Mahaveer Prasad, Aged About 45 Years, Resident Of Abhawas, Police Station- Reengus, District- Sikar.(Presently Confined In District Jail, Sikar.)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 985/2026

Nathuram Mehraniyan S/o Late Malaram, Aged About 70 Years, Resident Of Kalota, P.s. Khetri, District Jhunjhunu. Incumbent Deputy Suprintendent, Police Circle Reengus, District Sikar. (Presently Confined At District Jail, Sikar)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Pankaj Gupta, Adv. Mr. Sultan Singh Kuri, Adv. Mr. Prince Choudhary, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

07/05/2026

एकल पीठ दांडिक अपीलों के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया।

इन अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपीलें विचारार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे।

In S.B. Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 891/2026 & 888/2026:-

प्रार्थी-अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत पृथक-पृथक सजा स्थगन/जमानत आवेदनों पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सीकर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **31/2025** में पारित निर्णय दिनांक **30.04.2026** के माध्यम से अभियुक्त नाथूराम को धारा **7, 13(1)(D)** सपठित धारा **13(2)** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **120बी** भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध कर 04 वर्ष एवं अर्धदण्ड तथा अभियुक्त मनोज अग्रवाल को धारा **8** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, **120बी** भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध घोषित कर अधिकतम साढ़े तीन वर्ष व अर्धदण्ड से दंडित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्तगण का निवेदन है कि प्रार्थी-अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्हें प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है तथा वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त नाथूराम का निवेदन है कि अभियुक्त 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है तथा कैंसर रोग से ग्रसित है। यह भी निवेदन किया कि दोषसिद्धी हेतु पर्याप्त सामग्री पत्रावली पर नहीं रही है। अपीलों में अभियुक्तगण के सफल होने की पूर्ण संभावना है, किन्तु उनके निस्तारण में समय लगेगा, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदनों को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपीलों में उठाये गये कानूनी मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए,

गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उक्त सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः उक्त सभी सजा स्थगन प्रार्थना पत्र **कमशः** प्रार्थी-अभियुक्तगण **1. मनोज अग्रवाल पुत्र स्व. महावीर प्रसाद तथा 2. नाथूराम मेहरानिया पुत्र स्व. मालाराम की ओर से विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर** स्वीकार किये जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि वे इस न्यायालय में **दिनांक 08.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा **एक लाख रुपये** का बंधपत्र एवं **पचास-पचास हजार रुपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं **विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा** पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 30.04.2026** के तहत कारावास के संबंध में दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इन अपीलों के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J